"परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की ओर '' – विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण

(नई दिल्ली दिनांक 9 जून, 2008)

नई दिल्ली में आपका स्वागत है। हमें एक ऐसे विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने पर गर्व है, जिसका संबंध मानवमात्र के अस्तित्व के साथ है।

बीस वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में **निरस्त्रीकरण** के बारे में तीसरे विशेष अधिवेशन का उद्घाटन किया था।

"परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की ओर '' - विषय पर बोलते हुए उन्होंने एक कार्ययोजना प्रस्तुत की थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया था कि वह एक सामान्य और पूर्व निरस्त्रीकरण के बारे में बाध्यकारी समझौता करे। इस कार्ययोजना **के** मूल में यह तथ्य निहित था कि 2010 तक सभी परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए।

श्री राजीव गांधी का विश्वास था कि एक सुरक्षित और हिंसामुक्त विश्व की स्थापना के लिए निरस्त्रीकरण, विशेषकर परमाणु निरस्त्रीकरण, अनिवार्य है। प्रौद्योगिकी के विकास के स्वरूप, मानव कल्याण को बढ़ावा देने और विनाश रोकने की उसकी क्षमता के बारे में राजीव गांधी की गहरी समझ थी। इस संदर्भ में वे अणु शक्ति से भलीभांति परिचित थे। उनकी कामना थी कि परमाणु का इस्तेमाल कभी भी विनाश के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

राजीव गांधी कार्य योजना वास्तव में वैश्विक निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत के दृष्टिकोण की व्यापक अभिव्यक्ति और हमारी सोच की निरंतरता का प्रतीक है। यह हमारी उस सोच की निरंतरता को व्यक्त करती है, जो 1954 में उस समय प्रकट हुई थी जब भारत ने परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की अगुवाई की थी। इस कार्ययोजना की अनिवार्य विशेषताएं आज भी वैध हैं।

1988 के बाद की घटनाओं की समीक्षा करने पर इस बारे में मिलीजुली तस्वीर उभरती है कि दुनिया ने राजीव गांधी के सपने को पूरा करने की दिशा में कितनी प्रगति की। एक तरफ शीतयुद्ध की समाप्ति से विश्व के समक्ष उन खतरनाक सिद्धांतों से दूर रहने का अवसर पैदा हुआ, जो परस्पर सुनिश्चित विनाश की धारणा पर आधारित थे। प्रमुख शक्तियों के बीच अधिक वार्तालाप और वैश्विक सुरक्षा के परस्पर निर्भर स्वरूप के ज्ञान से निरस्त्रीकरण के बारे में कार्य करने के नए अवसर पैदा हुए। 1993 में निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन रासायनिक हथियारों के बारे में समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहा। इसमें यह तय किया गया कि 2012 तक व्यापक विनाश वाले सभी श्रेणियों के हथियारों को बहुपक्षीय, भेदभाव रहित और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पुष्टि की जाने वाली संधि के आधार पर नष्ट कर दिया जाएगा।

दूसरी तरफ दर्दनाक वास्तविकता यह है कि ऐसे वैश्विक निरस्त्रीकरण का लक्ष्य अभी कोसों दूर है, जो सार्वभौमिकता, भेदभाव रहित और प्रभावकारी अनुपालन के सिद्धांतों पर आधारित हो।

इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि वैश्विक सुरक्षा के प्रति नए खतरे और चुनौतियां उभरी हैं। मैं इस बात के बढ़ते खतरे की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि परमाणु हथियार आतंकवादियों या उग्र विचारधारा रखने वाले लोगों के हाथ लग सकते हैं। सरकारों से इतर ऐसे पक्षों का खतरा बढ़ रहा है, जिनके हाथ परमाणु सामग्री और हथियारों के पड़ने की आशंका है। ऐसी उभरती प्रौद्योगिकियों के आधार पर नई हथियार प्रणालियां विकसित की जा रही हैं जिनसे अंतरिक्ष-सुरक्षा के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को एक नई भूमिका मिल रही है और बहुपक्षवाद कमजोर हो रहा है और यहां तक कि सामरिक परिदृश्य में बदलाव लाने की द्विपक्षीय हथियार नियंत्रण प्रक्रियाएं शिथिल पड़ रही हैं।

जलवायु परिवर्तन और धरती के तापमान में बढ़ोत्तरी से भी खासकर विकासशील जगत में रहने वाले हम लोगों के लिए सुरक्षा के प्रति कई तरह के खतरे पैदा हो गए हैं।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आर्थिक विकास किया है। भविष्य में यह और भी अधिक वृद्धि दर हासिल करने की ओर अग्रसर है। भारत को शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की आवश्यकता है ताकि हम अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए संसाधनों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हमें एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सत्ता का संचालन लोगों की अधिकारिता के माध्यम से हो, और उसे हमारी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन, हमारे समाज, संस्थानों और मूल्यों से शक्ति मिले।

हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं निकट भविष्य में और **बढ़ेंगी**। हमारे पास ऊर्जा स्रोतों के विकल्पों को सीमित करने की स्वतंत्रता नहीं हैं। इसलिए हम ऐसा अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाना चाहते हैं, जिसमें परमाणु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल विनाशकारी प्रयोजनों के लिए न किया जाए और ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनसे हमारे राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने में मदद मिले।

एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के नाते भारत को अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण एहसास है। हमारी यह घोषित नीति है कि हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पहल नहीं करेंगे। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम परमाणु शक्ति का इस्तेमाल परमाणु हमले से बचने के लिए न्यूनतम भरोसेमंद अवरोधक के रूप में उचित समझते हैं। हमने परमाणु और फिसाइल संबंधी सामग्री और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर पूरी तरह नियंत्रण लगा रखा है। भारत किसी भी राष्ट्र के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। सर्वप्रथम, भारत ऐसे परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, जो वैश्विक, सार्वभौमिक और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो। इस लक्ष्य को हासिल करने से न केवल हमारी सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि अन्य सभी देशों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा।

इन लक्ष्यों को आधे-अधूरे तौर-तरीकों और दृष्टिकोणों से हासिल नहीं किया जा सकता। परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों की समाप्ति का एकमात्र तरीका वैश्विक निरस्त्रीकरण है।

परमाणु हथियार किसी सीमा को नहीं पहचानते। आज परमाणु संपन्न देशों के पास जितने हथियार हैं, उनसे पूरी दुनिया को कई बार नष्ट किया जा सकता है। इस परिदृश्य में परमाणु निरस्त्रीकरण का "प्रादेशिकीकरण" करना संभव नहीं है।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में एक **दस्तावेज (**वर्किंग पेपर) प्रस्तुत किया था। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण के उपायों का वर्णन किया गया था। हमें उम्मीद है कि इससे एक बहस शुरू होगी और इस मुद्दे पर आम सहमति को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रस्ताव जिनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भी प्रस्तुत किए गए थे। इन प्रस्तावों को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में व्यावहारिक उपायों का समूह माना जा सकता है। हम नहीं चाहते कि ऐसे अन्य उपायों को दरकिनार किया जाए जो इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। न ही हम यह चाहते हैं कि इन उपायों और इनके कार्यान्वयन को बिल्कुल क्रमवार ही किया जाए। हमने जो उपाय सुझाए हैं वे इस प्रकार हैं :-

- सभी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्वता की पुन: पुष्टि करें;
- सुरक्षा सिद्धांतों में परमाणु हथियारों की प्रमुखता में कमी लाने पर बल दिया जाए;
- परमाणु हथियार संपन्न देश ऐसे उपाए अपनाएं जिनसे परमाणु खतरा कम हो। वे दुर्घटनावश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल हो जाने के जोखिम को भी कम करने के उपाय करें;
- विश्वभर के परमाणु संपन्न देशों के बीच परमाणु हथियारों का "इस्तेमाल की पहल न करने' के बारे में समझौता किया जाए;
- परमाणु हथियारों से रहित देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के बारे में सार्वभौमिक और कानूनी वैधता के बारे में समझौता हो;
- परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में समझौते के प्रयास किए जाएं;
- एक ऐसा परमाणु हथियार समझौता किया जाए जिसमें परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण की मनाही **हो ताकि इन अस्त्रों के विनाश के बाद,** निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर वैश्विक, भेदभाव रहित और **जांच योग्य** परमाणु निरस्त्रीकरण हो सके।

इन प्रस्तावों में राजीव गांधी कार्ययोजना की भावना और इसका सार प्रस्तुत किया गया है। हमें उम्मीद है कि अन्य राष्ट्र इन प्रस्तावों पर बातचीत के लिए सहमत होंगे और परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता में हमारा साथ देंगे। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए निश्चित समय-सीमा के भीतर परमाणु हथियारों की समाप्ति का प्रावधान करना पहला महत्वपूर्ण कदम होगा। परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति सामान्य वचनबद्धता के साथ-साथ हमें परमाणु सामग्री, प्रौद्योगिकी और उपकरण आतंकवादियों को न देने जैसी सुदृढ़ निरस्त्रीकरण वचनबद्धताओं की भी जरूरत है। वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल होने तक सभी देश यह अवश्य सुनिश्चित करें कि वे संवेदनशील प्रौद्योगिकी का प्रसार खतरनाक हाथों में नहीं होने देंगे।

भारत परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में वैश्विक बहस के लिए आवाज बुलंद करने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने को तैयार है ताकि निरस्त्रीकरण और अप्रसार के बारे में आम सहमति तैयार हो सके। हमें सभी देशों की भागीदारी के साथ ऐसा सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसे गैर सरकारी समुदायों और जनमत का समर्थन प्राप्त हो।

मैं आपकी चर्चाओं की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

***